तत्काल / महत्त्वपूर्ण

कार्यालय आयुक्त, गन्ना एवं चीनी, उत्तर प्रदेश।
17, न्यू बेरी रोड डालीबाग, लखनऊ।

पत्रांकः—5135/सी./विकास अनुभाग/लखनऊ दिनांक. 24-11-2017

1. समस्त क्षेत्रीय उप गन्ना आयुक्त, उ.प्र.।
2. समस्त जिला गन्ना अधिकारी, उ.प्र.।

विषयः—राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अन्तर्गत वर्ष 2017—18 में यंत्र वितरण हेतु अनुदान उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

इस कार्यालय के पत्र संख्या—कै./44/सी./विकास अनुभाग, दिनांक 22 अगस्त, 2017 द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना वर्ष 2016—17 की कार्ययोजना के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2017—18 हेतु अवमुक्त धनराशि रु.825.34 लाख तथा पत्र संख्या—कै./119/सी./विकास, दिनांक 14 सितम्बर, 2017 द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना वर्ष 2017—18 की कार्ययोजना के सापेक्ष रु.2,061 लाख का व्यय करते हुए उसका उपयोगिता प्रमाण—पत्र इस कार्यालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये है।

आप अवगत ही है कि मुख्यालय स्तर से विभिन्न अधिकारियों के द्वारा दिनांक 11 एवं 12.11.2017 को परिक्षेत्रों/जनपदों में स्थलीय निरीक्षण किया गया है। निरीक्षण में इंगित हुआ है कि कृषकों द्वारा एक ही प्रकार के यंत्र अलग—अलग फर्म एवं अलग—अलग दुकान से अलग—अलग मूल्य पर उपलब्ध कराये जा रहे है, जिससे अनुदान की धनराशि भी भिन्न—भिन्न हो जा रही है। ऐसी दशा में आडिट में समस्या आ सकती है।

उपरोक्त के दृष्टिगत आपको निर्देशित किया जाता है कि एक ही तरह के यंत्रों के अनुदान में एकरूपता बनाये रखने हेतु यू.पी. एग्रो द्वारा यंत्रों के निर्धारित मूल्य के अनुरूप गन्ना कृषकों को आधार से लिंक कराते हुए डी.बी.टी. व्यवस्था के अनुरूप अनुदान उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(संजय आर. भूसरेड्डी)
आयुक्त,
गन्ना एवं चीनी उद्योग, उ.प्र.

Scanned by CamScanner